



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ 3 () सहा.अभि./मदसविवि/2016/18117

दिनांक : -9.7.2016

निविदा सूचना सं. 11

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में स्थित उद्यानो ,पेड़ों को पानी देने एवं वार्षिक रखरखाव, भवनों की पानी की टंकियों को भरने के लिये केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायतशासी विभाग में पंजीकृत एवं सक्षम सत्ता से पंजीकृत बोनाफाईड डीलरों से मोहरबन्द निविदायें दिनांक 25.7.2016 अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व अन्य समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mdsuajmer.ac.in तथा राज्य सरकार की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

कुलसचिव

क्रमांक: एफ 3 () सहा.अभि./मदसविवि/2016/ 18118-23

दिनांक : -9.7.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की प्रतिलिपि सी.डी.फाईल भेजकर निवेदन है कि इसका प्रकाशन निर्धारित समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाईड www.mdsuajmer.ac.in पर करवाने का कष्ट करें ।
2. उपकुलसचिव-दीक्षान्त मदसविवि अजमेर ।
3. ए0सी0पी0 नोडल अधिकारी , मदसविवि अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करने का श्रम करें ।
4. अनुभागाधिकारी - लेखा एवं वित्त मदसविवि अजमेर को भेजकर लेख है कि केश काउण्टर पर निविदा प्रपत्र की बिक्री की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
5. निजी सहायक कुलसचिव मदसविवि अजमेर ।
6. नोटिस बोर्ड ।

सहायक अभियन्ता



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा प्रपत्र

संस्था का नाम :- **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर**

कार्य का नाम:- म.द.स विश्वविद्यालय में स्थित उद्यानो के वार्षिक रखरखाव एवं पेड़ों को टेंकरों द्वारा पानी देने व मोटर द्वारा टंकियों में पानी भरने का कार्य

संवेदक का नाम व पता :-.....

कार्य की लागत:6.00 लाख.....

ब्याना राशि:- रुपये.....12,000 /-.....जरिए नगद /डी.डी. से जमा

रशिद संख्या.....दिनांक

निविदा शुल्क : रुपये 200 /- जरिये नगद /डी.डी. से जमा

रशिद संख्या.....दिनांक

निविदा का विवरण : वित्तीय व तकनीकी बीड संलग्न है उस प्रपत्र में निविदा दी जानी है।

निविदा विक्रय करने की दिनांक..... 25.07.2016..... तक समय...12.00..बजे..

निविदा जमा करने की दिनांक 25.07.2016.....तक समय...2.00..बजे..

तकनीकी बीड खोलने की दिनांक ..25.07.2016.....तक समय..3.00....बजे.

कार्य अवधि -एक वर्ष.....

निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-

1. निविदादाता अन्य राजकीय विभागों / बोर्डों / निगमों / प्राधिकरणों में पंजीकृत एवं उद्यान पेड़ पौधों के रख -रखाव के संतोषजनक कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. पेन नम्बर / सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र / सर्विस टैक्स नम्बर
3. निविदा उद्यान रख -रखाव से सम्बंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर / संसाधन होने का प्रमाण पत्र
4. ब्याना राशि जमा की रशिद
5. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्तशासी विभाग में पंजीकृत एवं सक्षम सत्ता से पंजीकृत प्रमाण पत्र।



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

तकनीकी बीड

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानो के वार्षिक रखरखाव एवं पानी पिलाने व टंकियों में पानी भरने के कार्य

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानो के वार्षिक रखरखाव एवं पानी पिलाने व टंकियों में पानी भरने के कार्य की निविदा प्रत्येक निविदादाताओं को दो बंद लिफाफे में देनी होगी, प्रथम लिफाफा तकनीकी बीड का होगा दूसरा लिफाफा वित्तीय बीड का होगा। तकनीकी बीड में निविदादाता सफल होने पर उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय बीड खोली जावेगी। तकनीकी व वित्तीय बीड के दोनो सील्ड लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद करके निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बीड के लिये निम्न शर्तों व प्रपत्र आवश्यक है जो कि संलग्न किये जाने हैं:-

1. निविदादाता अन्य राजकीय विभागों / बोर्डों / निगमों / प्राधिकरणों में पंजीकृत एवं उद्यान पेड़ पौधों के रख-रखाव के संतोषजनक कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. बयाना/ अमानत राशि रुपये .12,000../- नगद / डी.डी. की रशिद नम्बर दिनांक संलग्न।
3. पेन नम्बर / सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र/ सर्विस टैक्स नम्बर
4. संवेदक के पास उद्यान रख-रखाव से सम्बंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर / संसाधन होने का प्रमाण पत्र व विवरण।
5. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी विभाग में पंजीकृत एवं सक्षम सत्ता से पंजीकृत प्रमाण पत्र।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता:-.....

मोबाईल नं.



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्तीय बीड

म.द.स विश्वविद्यालय में स्थित उद्यानो के वार्षिक रखरखाव एवं पेड़ों को टेंकरों द्वारा पानी देने व मोटर द्वारा टंकियों में पानी भरने का कार्य

कार्य का विवरण (पार्ट –A एच शिड्यूल)

म.द.स विश्वविद्यालय के निम्न उद्यानो के समस्त रखरखाव ,परिसर मे पेड़ों को पानी देने एवं रख रखाव का कार्य ,परिसर में हैज के रखरखाव का कार्य (स्थानों के नाम संलग्न है।)

		निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें सभी करो व व्ययों सहित (सभी उद्यानो की एवं अंकित समस्त कार्य की वार्षिक दर) क्रम सं. 1 से 18 तक।
1.	Complete maintenance of the garden including entire garden features in the garden area i.e. Lawn,trees , shrubs, hedge, cement potted plants ,earthen potted plants ,flower beds , creeper etc.i/c weeding hoeing pruning, replacement of plants gap filling watering,mowing of lawn , hedge cutting, application of insecticide & pesticide ,(Whenever required)and maintenance of other garden related works as directed by officer in charge with all T&P, with grass cutting Machine etc. Note : insecticide, pesticide & water etc.will be provided by the University.) with all taxes as applicable <u>विश्वविद्यालय परिसर में उद्यानो के वार्षिक रखरखाव का कार्य</u> 1. कुलपति सचिवालय के सामने के चार लॉन 2. दीक्षान्त समारोह स्थल का उद्यान 3. मुख्य साईकिल स्टेण्ड का उद्यान 4. कुलसचिव कार्यालय के पीछे का उद्यान 5. श्रद्धानन्द अतिथिगृह का उद्यान 6. भरती निवास के सामने की हैज 7. केन्द्रीय पुस्तकालय से लेकर विक्रमादित्य भवन तक की हैज 8. सहायक अभियन्ता कार्यालय के सामने की हैज 9. योगा भवन के सामने की हैज 10. आरोग्य भवन के सामने एवं पोस्ट ऑफिस वाली सड़क की हैज 11. परीक्षा भवन के पीछे बोगनवेलिया के ग्रुप प्लानटेशन का रखरखाव 12. ए.सी. प्लांट के पास वाली हैज 13. विश्वविद्यालय परिसर में समस्त पेड़ों का रखरखाव का कार्य संख्या 14. विश्वविद्यालय परिसर में समस्त भवनों की टंकियों को मोटर द्वारा पानी भरने का कार्य। 15. विश्वविद्यालय परिसर में समस्त उद्यानों अथवा पेड़ों की पत्तियों को एकत्रित कर वर्मी कम्पोस्ट (खाद) बनाने के लिये निर्दिष्ट स्थान पर डालने का कार्य। 16. विश्वविद्यालय परिसर में समस्त मुख्य भवनो के आस पास मुख्य मार्ग एवं उपमार्ग के फुटपाथ के किनारे उगने वाली झाड़ियों जंगली पौधो घास इत्यादि को काटकर दूर स्थान पर फेंकने का कार्य । 17. श्रद्धानन्द भवन परिसर में समस्त जंगली झाड़ियों जंगली पौधो घास इत्यादि को काटकर दूर स्थान पर फेंकने का कार्य । 18. कर्मचारी आवास कालोनी में , भवनों के आस पास की जंगली झाड़ियों को हटाने का कार्य ।	

नोट:- खाद एवं मिट्टी आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा मे डाल कर परत बिछाने का कार्य (दूब व क्यारियों में) खाद व उपजाऊ मिट्टी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता:-.....
मोबाईल नं.

Special Terms & Conditions

Name of Work:- Annual Maintenance of Garden Work in M.D.S.U. Campus Ajmer

1. Contractor should produce proof of registration with the Govt. Authority, Board corporation and all autonomous bodies for Horticulture work will only be considered for awarding the contract.
2. Mali should always be available at the site of work to take instruction from Garden inspector and ensure proper execution of work.
3. Income Tax Service Tax, VAT/Work contract Tax, Labour welfare cess as applicable, shall be recovered from the bill of the Contractor.
4. The Contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work.
5. Payment of wages to the Labour shall be made by the Contractor as per minimum wages applicable.
6. The Contractor shall provide tools and plants to the deployed Labour for Maintenance of Horticulture works. Beside this lawn mower and adequate quantity of rubber hose pipes shall be arranged by the contractor.
7. The lawns, shrubs, trees hedges shall have to be maintained in the satisfactory condition by the contractor. The decision regarding quality of maintenance given by the Garden Inspector or his representative shall be final and binding on the contractor.
8. Site must be seen before quoting the rates.
9. The agency shall in no case lease / transfer /sublet the services at Garden of any other agency.
10. The contractor shall have to arrange and maintain all tools and plants and other stock item viz. Bamboo, sutli, hessian cloth, tokri and loading rickshaws etc. Required for proper maintenance of garden features (including power lawnmower) and no extra payment shall be made.
11. The maintenance includes, watering, fertilizing the plants, protection from pests and diseases, sweeping, weeding and disposal of garden refuse, cultivation and cutting of hedges, pruning and clipping of hedges roses etc. and stacking, preparation and planting of seasonal flowers minor repair works and all other landscape operations necessary for the proper growth of garden features and proper standard of maintenance.

- 12.Regular weeding cutting grass of lawns and flower beds ground covers , making basins of tree pits and hoeing to be done periodically or as per directed by Garden Inspector .
- 13.The existing flower beds to be maintained with alteration (if required) by planting summer and winter seasonal flowers and seed/seedling should be provided by the department free of cost but damage to the seedlings at any stage due to negligence on the part of contractor shall be made good by the contractor, failing which same shall be got done at his cost.
- 14.The contractor must take all necessary precautions for carrying out the above operation. In the case of any injury/accident to any person, the responsibility and liability will be entirely on the contractor.
- 15.Adequate watering of all garden features, trees, hedges, shrubs with hose pipes in different area should be done regularly.
- 16.Lawn mowing to take place at regular intervals of 10-15 days in a month or as per direction of Garden Inspector .
- 17.Clipping and trimming of hedges, edges and trimming of shrubs, plants, trees, creepers and bougainvilleas etc, at regular intervals and stacking of plants, wherever required shall be done by the contractor.

Assistant Engineer
M.D.S University ,
Ajmer .



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता अपनी निविदाएँ तकनीकी बीड व वित्तीय बीड में सीलड बंद लिफाफे में प्रथम रूप से देगे तथा दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलड बंद करके निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय, अजमेर में मय अमानत राशि की रसीद सहित प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदादाता अमानत/ बयाना राशि रुपये नगद /डी.डी. के रूप में यथा समय जमा करवाकर विश्वविद्यालय से रसीद लेनी होगी तथा निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।
3. निविदादाता को निविदा में अंकित समस्त कार्य पूर्ण करना होगा, कार्य पूर्ण नहीं करने की दशा में अन्य व्यवस्था करके पूर्ण करवाया जावेगा जो कि संवेदक की जाखिम पर करवाया जायेगा अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने पर अधिक राशि देने की स्थिति में संवेदक से वसूली की जावेगी तथा धरोहर राशि जब्त की जावेगी।
4. निविदा में अंकित समस्त कार्य संवेदक को करना होगा तत्पश्चात प्रति माह की 7 तारीख तक बिल बना कर देना होगा जिसे सहायक अभियन्ता / उद्यान निरीक्षक सत्यापित करेगा।
5. निम्न मामलो में निविदा अमानत राशि जब्त की जावेगी :-
(1) एग्रीमेंट नहीं की जाने की स्थिति में।
(2) धरोहर/ सुरक्षा राशि समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में।
(3) कार्य निर्धारित समय पर प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में।
6. निम्न मामलो में धरोहर/ सुरक्षा राशि जब्त की जावेगी :-
(1) निविदा की शर्तों का उल्लंघन करनेकी स्थिति में।
(2) कार्यकरने में असमर्थ रहने की स्थिति में।
(3) संवेदक को धरोहर राशि जब्त करने के लिये लिखित में नोटिस दिया जावेगा।
7. अमानत/धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अमानत राशि संवेदक की सहमति पर धरोहर/ सुरक्षा राशि में समायोजन हो सकेगा।
8. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 68 की अन्य शर्तों की पालना करनी होगी।
9. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर निम्न प्रकार से शास्ती लगाई जावेगी।
(1) कुल निर्धारित समय से 1/4 समय का विलम्ब होने पर शेष रहे कार्य की 2 1/2 %
(1) कुल निर्धारित समय से 1/2 समय का विलम्ब होने पर शेष रहे कार्य की 5 %
(1) कुल निर्धारित समय से 3/4 समय का विलम्ब होने पर शेष रहे कार्य की 7 1/2 %
(1) कुल निर्धारित समय से बराबर विलम्ब होने पर शेष रहे कार्य की 10 % तक।
इस प्रकार कुल अधिकतम शास्ती 10 % से अधिक नहीं होगी।
10. अनुमोदित ठेकेदार के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने कार्य सम्बन्धि समस्त शर्तों के विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त कर ली, कार्य आदि किसी अर्थ के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह हो तो उसे (ठेकेदार को) हस्ताक्षर करने से पूर्व कुलसचिव से पूछताछ कर लेनी चाहिये और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
11. ठेकेदार सम्बन्धित कार्य का ठेका अन्य किसी दुसरे फर्म /व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
12. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये। निविदा में कोई परिवर्तन, ऑवरराइटिंग नहीं किया जाना चाहिये।
13. निविदाकार को निविदा और कार्य की शर्तों और प्रविष्टियों की स्वीकृति प्रतिक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में हस्ताक्षर करने चाहिये।
14. इच्छुक निविदाकार को बयाना/अमानत राशि के रुपये 12000/- नगद टेण्डर के साथ जमा कराने होंगे अन्यथा टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। अमानत राशि के लिये चैक /एफ.डी. स्वीकार नहीं होगा।
15. ठेकेदार को ठेके की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति / धरोहर राशि के रूप में कार्यादेश के 7 दिन में जमा करानी होगी। धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में सम्मिलित की जा सकेगी। यह प्रतिभूति की रकम अनुबंध अवधि के संतोषप्रद ढंग से सम्पादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि की समाप्ति की तारीख से दो माह पश्चात लिखित प्रार्थना पत्र पर लौटाई सकेगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
16. सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में रुपये 500/- के नॉन -ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यादेश के सात दिन में करार निष्पादित करना होगा। स्टाम्प पेपर स्वयं निविदादाता को ही लाना होगा। यदि निविदाकार सात

दिवस में प्रतिभूति राशि जमा कराने या वांछित कलावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को नियमों एवं शर्तों को उल्लंघन किया जाना माना जायेगा। और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. ठेके की अवधि के दौरान विवादास्पद स्थिति में कुलसचिव महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
18. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व नोटिस पर ठेका निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव को आरक्षित रहेगा।
19. पौधे नष्ट हाने पर निविदादाता को उतनी ही उंचाई व उसी प्रजाति का पौधा अनुकूल मौसम आने पर अपने स्तर पर 7 दिवस में लगाना होगा तथा निविदादाता को कार्य समाप्ति के अंत में प्रारम्भ में लगाये गये पौधे स्वस्थ एवं सही हालत में सम्भलवाने होंगे। निविदादाता द्वारा यदि नष्ट हुआ पौधा 7 दिवस में नहीं बदला गया तो पौधे की कीमत सहित उस पौधे पर किया गया समस्त व्यय जी शिड्यूल की निर्धारित मय साधारण दर सहित राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।
20. संधारण की कार्य राशि का भुगतान प्रत्येक माह बाद किया जायेगा।
21. संधारण के दौरान यदि संवेदक की लापरवाही या गलती से 10 प्रतिशत से अधिक पौधे नष्ट हो जाते हैं तो यह माना जायेगा कि निविदादाता द्वारा किया जा रहा संधारण का कार्य संतोषप्रद नहीं हैं और उस माह का कोई भुगतान देय नहीं होगा। निविदादाता से यह कार्य वापस लिया जा सकेगा तथा निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
22. संवेदक को निर्देशानुसार पेड़ व पौधों की प्रतिवर्ष एक विशेष आकृति में ट्रीमिंग प्रूमिंग करनी होगी। साथ ही पौधों की फाईन जेट द्वारा निर्देशानुसार धुलाई भी करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
23. उद्यानों एवं पेड़ों के रख-रखाव के दौरान पेड़ों व पौधों में लगने वाले कीट एवं रोगों के उपचार हेतु कीटनाशक दवाओं का छिड़काव समय-समय पर करना होगा। कीटनाशक की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर पर करनी होगी।
24. संवेदक को उद्यान के रख-रखाव के दौरान जी-शिड्यूल में दर्शाये गये कार्यों के अनुसार एवं उद्यान निरीक्षक के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
25. ठेकेदार को वर्ष के संधारण के पश्चात यह सुनिश्चित करना होगा। की उन पेड़ों की शर्त संख्या 16 के अनुसार उंचाई का पेड़ सम्भलवाना होगा जिससे आगे संधारण की आवश्यकता नहीं रहें।
26. उद्यानों एवं पेड़ों के वार्षिक रख-रखाव की दर संविदा एक वर्ष के लिये की जा रही है। एवं संवेदक द्वारा उक्त कार्यकाल में अच्छा कार्य किये जाने पर संधारण की अवधि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात बढ़ाई जा सकती है।
27. बिना कारण बताये कुलसचिव को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
28. उद्यान क्षेत्र में लगे हुये समस्त गमलों पर रंग रोगन (समोसम टेराकोटा) नियमित रूप से आवश्यकतानुसार करना होगा। रंग रोगन की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर पर करनी होगी।
29. निविदा में अंकित समस्त कार्य यथा समय पर संवेदक को करने होंगे। निविदा में अंकित दरों कमे अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होंगी।
30. नियमानुसार बिलों में करों की कटौती की जावेगी।
31. कार्य में कमी पाये जाने पर भुगतान में से कटौती भी नियमानुसार की जावेगी :-
 - (1) पानी की टंकियों में पानी भरने के कार्य - 500/- रुपये प्रतिदिन
 - (2) उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव का कार्य - 27 पैसे प्रति वर्गफुट की दर से
32. निविदा में अंकित समस्त कार्य करने पर ही पूर्ण भुगतान देय होगा। कम या अपूर्ण कार्य करने पर आनुपातिक कटौती करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही स्वयं के व्यय पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना होगा जिसके अभाव में शर्त संख्या 6 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
33. राजस्थान उपायन एवं पारदर्शिता नियम 2013 की पालना करनी होगी।
34. प्रतिमाह कार्य का सत्यापन संबंधित भवनों के सम्मुख स्थित उद्यानों का उस भवन में कार्यरत प्रभारी से करायेगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता:-.....
मोबाईल नं.